न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 45/2021 रा.वा.

जी.सी.एम.एस.नम्बर–2021/95

उनवान

1. श्री जगना पिता होमा अहारी मीणा उम्र बालिग निवासी परोडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–वादीगण

विरुद्ध

1. श्री माना पिता धुला अहारी मीणा उम्र बालिग निवासी परोडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री जीवा पिता धुला अहारी मीणा उम्र बालिग निवासी परोडा तहसील सलूम्बर
3. श्रीमती लिम्बडी पुत्री धुला मीणा उम्र बालिग निवासी परोडा तहसील सलूम्बर हाल वार्ड नम्बर 2, पाट तलाई, गलन्दर जिला डुंगरपुर (राज.)
4. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

वादअन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः– 15/10/2025

उपस्थितिः श्री भंवरसिंह राठौड अधिवक्ता–वादी
प्रतिवादी संख्या 1 से 3–अनुपस्थित।
पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित।

वादीगण ने वाद बाबत् घोषणा कराने खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। वादीगण के वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि– वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही जाति के होकर जिनकी कृषि भूमि आराजी ग्राम परोडा पटवार हल्का ईण्टाली खेडा भू.अ.नि. बरोडा तहसील सलुम्बर में स्थित है। ग्राम परोडा पटवार हल्का ईण्टालीखेडा तहसील सलुम्बर हाल जिला सलूम्बर के खाता संख्या नई 85 खसरा नंबर 1390 रकबा 0.1000 हैक्टेयर है। उक्त खाता संख्या 85 की हाल आराजी नंबर 1390 रकबा 0.1000 हैक्टेयर का साबिक आराजी 339 होकर 9 बिस्वा बीघा जमीन मौजुद थी। उक्त साबिक आराजी नम्बर 339 रकबा 9 बिस्वा भूमि धूला पिता पूंजा, रूपा पिता देवा, मेगा पिता देवा अहारी कोम मीणा निवासी मौजा परोडा तहसील सलुम्बर जो कि प्रतिवादीगण के दादा ने एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22–01–1986 को वादी के पिता होमा को विक्रय कर उक्त साबिक आराजी नबर 339 जिसके हाल आराजी नबर 1390 रकबा 0.10 हैक्टेयर पर वादी के पिता होमाजी को पूर्ण कब्जा वक्त विक्रय पत्र के समय ही हस्तान्तरित कर सिपुर्द कर दिया था व उक्त कब्जे के आधार पर वादी के पिता द्वारा कृषि भूमि को उपजाउ बनाकर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कोट बाड इत्यादी बनाई गई अनपढ़ होने व कानुन की जानकारी नहीं होने की वजह से उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण वादी के पिता के नाम से उक्त कृषि भूमि कभी भी राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के नाम से अंकित नहीं हो सकी। उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण बतौर क्रेतागण के रूप में वादी के पिता के नाम दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु दुर्रभाग्य वश व कम कानुनी जानकारी होने की वजह से उक्त कृषि भूमि वादी के नाम पर दर्ज न होकर क्रेता के बजाए धूला पिता पूंजा, रूपा पिता देवा, मेगा पिता देवा की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण जो विधिक उत्तराधिकारी होने से दर्ज हो गई। उक्त आराजी नंबर 1390 आज दिनांक तक वादी के कब्जे काश्त होने के चलते वादी उक्त हाल आराजी नंबर 1390 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के पूर्ण अधिकारी है। प्रतिवादीगण जिनका उपरोक्त हाल आराजी नबर 1390 पर भी कब्जा नहीं रहा है। व प्रतिवादीगण के दादा द्वारा उक्त कृषि भूमि पूर्व में ही वादी के पिता को विक्रय कर दी गई एवं वर्तमान में उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वाद कारण दिनांक 29–8–2021 को वादी द्वारा पटवारी से जमाबंदी कि नकल प्राप्त करने पर पता चला कि खसरा नंबर 1390 जमीन आज दिनांक तक वादी के नाम पर कभी राजस्व रिकार्ड में दर्ज ही नही हुई थी उक्त राजस्व रिकार्ड मे देखकर वादी हतप्रद रह गया व कानुनी सलाह लेकर बीना किसी देरी से उपरोक्त वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वादी द्वारा बेवजह कोई देरी नहीं की गई हैं। अतः आप श्रीमान से सानुरोध निवेदन है कि उक्त वाद पत्र को वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी प्रदान की जावे– कि वादपत्र कि कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात हाल आराजी संख्या 1390 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। साथ ही आराजी संख्या 1390 रकबा 0.1000 हैक्टेयर वादी की कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई दखलअन्दाजी, अतिक्रमण नुकसान न करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना फरमावे।

वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा हाजिर आये। प्रतिवादी संख्या 1 एक व 2 दो ने जवाब मे वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अन्त मे वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद सूचना के न्यायालय मे हाजिर नही होने से आदेशिका दिनांक 28–05–2025 को प्रतिवादी संख्या 3 तीन के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीगण के वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावे के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न तनकियात कायम की गई–

1. आया वादी वाद वर्णित मौजा परोडा पटवार हल्का ईण्टालीखेडा तहसील सलूम्बर के खाता संख्या 85 आराजी नम्बर 1390 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि अपने नाम घोषणा कराने का अधिकारी है?

–बजिम्मे वादी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

2. आया वादी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

–बजिम्मे वादी

3. दादरसी / अनुतोष?

वादी स्वयं बतौर गवाह न्यायालय मे हाजिर आया तथा अपने वादपत्र की पुष्ठी मे दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1– जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 85 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 2– मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श 3– जमाबंदी संवत् 2039 से 2042, प्रदर्श 4–असल विक्रय पत्र, प्रदर्श 4A विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की। आदेशिका दिनांक 08–09–2025 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादी संख्या 1 एक व 2 दो के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई जीरह प्रतिवादी नील रही।

तद्पश्चात पत्रावली मे वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस मे अपने वादपत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि साबिक आराजी नम्बर 339 रकबा 9 बिस्वा भूमि धूला पिता पूंजा, रूपा पिता देवा, मेगा पिता देवा अहारी कोम मीणा निवासी मौजा परोडा तहसील सलुम्बर जो कि प्रतिवादीगण के दादा ने एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22–01–1986 को वादी के पिता होमा को विक्रय कर पूर्ण कब्जा विक्रय पत्र के समय ही हस्तान्तरित कर सिपुर्द कर दिया था उक्त साबिक आराजी 339 के मिलान क्षैत्रफल अनुसार हाल आराजी नम्बर 1390 बने है तथा आज भी मौके पर वादी का ही कब्जा है। उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण बतौर क्रेतागण के रूप में वादी के पिता के नाम दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु दुर्रभाग्य वश व कम कानुनी जानकारी होने की वजह से उक्त कृषि भूमि वादी के नाम पर दर्ज न होकर क्रेता के बजाए धूला पिता पूंजा, रूपा पिता देवा, मेगा पिता देवा की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण जो विधिक उत्तराधिकारी होने से दर्ज हो गई। अतः आराजी नम्बर 1390 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार काश्ताकर घोषित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

पत्रावली मे तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार है –

तनकी नम्बर 1– आया वादी वाद वर्णित मौजा परोडा पटवार हल्का ईण्टालीखेडा तहसील सलूम्बर के खाता संख्या 85 आराजी नम्बर 1390 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि अपने नाम घोषणा कराने का अधिकारी है ?

यह तनकी साबित करने का भार वादी पर है साबिक आराजी नम्बर 339 रकबा 9 बिस्वा भूमि जमाबंदी प्रदर्श 3 में धूला पिता पूंजा हिस्सा 1/2, रूपा मेगा पिता देवा हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज अंकित है। उक्त साबिक आराजीयात की भूमि प्रदर्श 4 द्वारा धुला पिता पुंजा, रूपा मेगा पिता देवा ने होमा पिता विरजी को विक्रय की गई। उक्त साबिक आराजी नम्बर 339 रकबा 9 बिस्वा के मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–2 अनुसार हाल आराजी नम्बर 1390 रकबा 0.10 हैक्टेयर बने है। उक्त हाल आराजी नम्बर 1390 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि वर्तमान मे प्रदर्श 1 प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज अंकित है। रेकॉर्ड अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त साबिक आराजी नम्बर 339 रकबा 9 बिस्वा कृषि भूमि का नामान्तरण बतौर क्रेतागण के रूप में वादी के पिता के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। प्रतिवादी संख्या 1 एक व 2 दो ने जवाब मे वादी के वाद को

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

स्वीकार करते हुए वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का समर्थन किया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक व 2 दो के जवाब के आधार पर वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2– आया वादी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है थी?

यह तनकी साबित करने का भार वादी पर है। तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष मे साबित पाये जाने से यह तनकी भी वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

पत्रावली मे वादी की एक पक्षीय की बहस सुनी गई। बहस मनन की गई तथा पुरी पत्रावली एवं उसमें पेश दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तनकी नम्बर 1 व 2 वादी के पक्ष मे है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक व 2 दो के जवाब के आधार पर आधार पर वादी मौजा परोडा आराजी नम्बर 1390 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि की घोषणा कराये जाने का अधिकारी पाये जाने से वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है ।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा परोडा पटवार हल्का ईण्टालीखेडा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 आराजी नम्बर 1390 रकबा 0.10 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादीगण के खाते से कम कर उक्त आराजी नम्बर 1390 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के आराजीयात की भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे।

माफिक निर्णय डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जावे तथा पालनार्थ निर्णय एवं डिक्री की एक प्रत तहसीलदार सलुम्बर को भेजी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 15/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला– सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 45/2021 रा.वा.

जी.सी.एम.एस.नम्बर–2021/95

उनवान

1. श्री जगना पिता होमा अहारी मीणा उम्र बालिग निवासी परोडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–वादी

विरुद्ध

1. श्री माना पिता धुला अहारी मीणा उम्र बालिग
2. श्री जीवा पिता धुला अहारी मीणा उम्र बालिग
   निवासी परोडा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।
3. श्रीमती लिम्बडी पुत्री धुला मीणा उम्र बालिग निवासी परोडा तहसील सलूम्बर हाल वार्ड नम्बर 2, पाट तलाई, गलन्दर जिला डुंगरपुर (राज.)।
4. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री भंवरसिंह राठौड एवं प्रतिवादीगण की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 15/10/2025 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा परोडा पटवार हल्का ईण्टालीखेडा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 आराजी नम्बर 1390 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के खाते से कम कर उक्त आराजी नम्बर 1390 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के आराजीयात की भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 15/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	05	–	योग	01	–

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर